कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025–26/40068–7734720/2a दिनांक–यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2025–26

सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 6 से 12 तक)

1	योजना का नाम एवं क्षेत्र	बांरा जिले के सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 6 से 12 तक)
2	योजना का उद्‌देश्य	सहरिया जनजाति के ऐसे परिवार जो पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। ऐसे सहरिया छात्र/छात्राएं जो घर से राजकीय विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत है उनको स्टेशनरी एवं पौशाक क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे उनके परिवार में उनकी पढ़ाई का खर्चा ना बढ़े एवं उनकी पढ़ाई से परिवार पर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े।
3	परिभाषा	ऐसे सहरिया आदिम जनजाति के छात्र/छात्राएं जो कक्षा 6 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हो जिन्हें छात्रावास में निवास करने हेतु स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता हो।
4	आवेदन की प्रक्रिया	➢ आवेदन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय के शालादर्पण प्रभारी द्वारा संपादित की जानी है। ➢ शालादर्पण पोर्टल के बेनीफिशियरी मोड्यूल में लोगइन करने पर बाईं ओर OTHER SCHEMES में जाकर संबंधित योजना का चयन करने पर विद्य ालय के कक्षा 06 से 12 में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के छात्रों व छात्राओं का कक्षावार डाटा प्रदर्शित होंगा। ➢ कक्षा पर लेफ्ट क्लिक करने पर विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी। ➢ आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष APPLY बटन पर लेफ्ट क्लिक करें। ➢ विद्यार्थी का आवेदन खुलने पर निम्न प्रविष्टियाँ मैन्युअल की जानी है – 1. विद्यार्थी का पता 2. विद्यार्थी के परिवार का जनाधार आई.डी संख्या एवं जनाधार आई.डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या 3. विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, आधार संख्या व परिवार की वार्षिक आय ➢ बैंक इनफार्मेशन। ➢ सभी प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्चात् अप्लाई बटन पर लेफ्ट क्लिक कर आवेदन लॉक करें। ➢ शालादर्पण प्रभारी संस्थाप्रधान के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से प्रस्ताव लॉक करेगें।

		➢ अंतिम दिनांक तक आवेदन लॉक नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः लॉक हो जायेंगे। ➢ अपात्र विद्यार्थियों हेतु नाम के समक्ष REJECT बटन पर लेफ्ट क्लिक करके REJECTION के कारण का चयन करें। ➢ विद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन को जांचकर आवेदन सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाएगा।
<u>**5**</u>	देय लाभ	बारां जिले के सहरिया छात्र/छात्राएं को कक्षा 6 से 12 वीं तक 2500 रू. प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष।
6	पात्रता	1. ऐसे सहरिया छात्र/छात्राएं जो बारां जिले के किसी भी राजकीय विद्यालय में नियमित प्रवेश ले लिया हो/अध्ययनरत हो। 2. वह बांरा जिले की मूल निवासी हो तथा सहरिया परिवार से हो। 3. विभागीय किसी भी आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावास में निवासरत ना हो। 4. छात्र/छात्रा के माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक आयकर दाता ना हो।
<u>**7**</u>	आवश्यक दस्तावेज	1. जाति प्रमाणपत्र। 2. मूल निवासी प्रमाण–पत्र। 3.आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड। 4. बैंक पास बुक। 5..नियमति अध्ययनरत प्रमाण पत्र
<u>**8**</u>	तिथि विवरण	संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **30.09.2025**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

RajKaj Ref No.: 16679675
eSign DSC